न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
012/2022(रा.प्रा.प.) (GCMS 2022/412)	24.11.2022	07.01.2025

अनवान

रतनलाल पिता वेणीराम जाति अहीर आयु 75 साल निवासी मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती पप्पूदेवी पत्नी मदनलाल जाति खटीक आयु 35 साल निवासी खटीक मौहल्ला निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. श्रीमती मांगीबाई पत्नी लक्ष्मण जाति चमार आयु वयस्क निवासी रूपपुरा तहसील जावद जिला नीमच (मध्य–प्रदेश)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–	खुमराज कुमावत	प्रार्थी
	छोगाला जाट	अप्रार्थी संख्या 1, 2
	भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	अप्रार्थी संख्या 3

प्रार्थना–पत्र विरूद्ध आवंटन आदेश मिसल संख्या 032/1965 दिनांक 14.06.1965 बाबत् तहसीलदार निम्बाहेडा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(04) भू–आवंटन नियम राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय के अन्तर्गत

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि–प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के अन्तर्गत खिलाफ अप्रार्थीगण के मौजा मैलाना तहसील निम्बाहेडा के आराजी नम्बर 1179/1108 दिनांक 14.06.1965 को मिसल संख्या 32 के माध्यम से रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन जिसका नामान्तरकरण संख्या 234 होकर दिनांक 05.02.1967 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त आवंटन से व्यथित होकर आवंटन निरस्त कराये जाने बाबत् पेश किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये विपक्षी संख्या 1 व 2 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो कि शामिल पत्रावली है। विपक्षी संख्या 3 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर रहे। विपक्षी संख्या 1 की और से दिनांक 25.09.2024 को जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। संबंधित भू–आवंटन पत्रावली तलब की गई। इस पर तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/2024/1144 दिनांक 07.06.2024 से अवगत कराया गया कि कार्यालय हाजा में टीम गठन कर उक्त आवंटन पत्रावली की तलाशी करवाई गई, किन्तु रिकार्ड काफी पुराना होने से गहन तलाशी के उपरांत उपलब्ध नहीं हो सका है। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा गठित टीम के पर्चा मौका शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में उभयपक्षकारान बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटन जो घासी के नाम पर हुआ था वह गलत हुआ है, नियम विरूद्ध हुआ है, आवंटन होने से यह भूमि घासी के नाम रेवेन्यू रेकार्ड में गैर–खातेदारी के रूप में दर्ज हुई, परन्तु विवादित भूमि के किसी भी भाग पर आवंटी घासी का उसकी पत्नी हमेरी का और मांगी का तथा पप्पूडी का कोई कब्जा नहीं रहा है। विवादित भूमि के पडौस पूर्व में मुकेश पिता लक्ष्मीनारायण बलाई का खेत जिस पर शांतिलाल धाकड का कब्जा है, पश्चित में शंकर अहीर का खेत, उत्तर में पडत सरकारी और दक्षिण में प्रकाश अहीर का खेत है। इन पडौसों के बीच की भूमि आराजी संख्या 1179/1108 जिसका नया नंबर 1532 है, इस भूमि पर कोई कब्जा घासी, हमेरी, मांगी और पप्पूडी का नहीं है। तथ्यों को छुपाकर विपक्षी के पूर्वजों ने प्रार्थी का कब्जा होते हुए भी गलत तरीके से आवंटित करा ली।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी संख्या 2 को मौजा मैलाना की आराजी संख्या 1179/1108 दिनांक 14.06.1965 को मिसल संख्या 32 के माध्यम से 5 बीघा भूमि आवंटित होना व नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 05.02.1967 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत होकर घीसा पिता मौडा की मृत्यु के बाद यह भूमि उसकी पत्नी हमेरी के गैर–खातेदारी नाम दर्ज हुई व हमेरी बाई के मरने के बाद विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई और विपक्षी संख्या 2 ने यह भूमि विपक्षी संख्या 1 को पंजीकृत बहनामें से विक्रय कर कब्जा दिया जिस पर विपक्षी संख्या 1 पंजीकृत बहनामें से काबिज चला आ रही है जिससे निगराकार को आवंटन निरस्त कराये जाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही अधिवक्ता विपक्षीगण का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षीगण को भू–आवंटन पूर्णतया विधि अनुसार संपूर्ण जांच के बाद हुआ है। भू–आवंटन कमेटी के द्वारा विधिवत रूप से उद्घोषणा जारी की जाकर आवंटन कमेटी ने सार्वजनिक तौर पर आवंटन आदेश पारित किया गया है। भू–आवंटन स्वतंत्रता पूर्वक पक्षपात रहित हुआ हैं।

आवंटन पालना में विपक्षी आवंटन दिनांक से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। यह भू–आवंटन 1965 को हुआ हैं जिसे 57 वर्ष हो चुके हैं, 57 वर्षो तक प्रार्थी ने कोई आपत्ती नहीं की अब वह इस भू–आवंटन को निरस्त करवाने का अधिकारी नही हैं। विपक्षी ने भूमि को काबिल कश्त बनाने में लाखों रूपये खर्च कर चुके हैं। अतः प्रार्थी का आवेदन सव्यय निरस्त किया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस पर हाजिर राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना–पत्र में माध्यम से विधिक तथ्यों के संबंध में उज्र/एतराज किया जाकर प्रकरण में विधिक तथ्यों को उठाया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख पत्रावली भी प्राप्त हो चुकी है, अतः प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना विधि द्वारा प्रावधित है। अतः पत्रावली का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने की ईश्तदुआ की गई।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि मौके पर प्रार्थी का कब्जा पूर्व में भी था आज भी है। अभी हाल ही में मांगी ने यह भूमि पप्पू देवी पत्नी मदनलाल विपक्षी को विक्रय की और विपक्षी पप्पूबाई वहां आकर उक्त जमीन खरीदने का तथ्या बताया, इस पर प्रार्थी ने तहसील कार्यालय जाकर जानकारी की तो आवंटन की जानकारी हुई। नकल लेकर यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। इसे पेश होने से जो देरी हुई है वह जानकारी के अभाव में हुई है, इस देरी को क्षम्य की जाकर आवेदन पत्र को अन्दर अवधि शुमार किया जावे। इसके साथ आवेदन पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अलग से पेश है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मिसल संख्या 032/65 दिनांक 14.06.1965 तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा ग्राम में लाना, वाके मौका मेलाना आराजी नम्बर 1179/1108 जिसका नया नम्बर 1532 है को निरस्त किया जावे और उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज की जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमनेपत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई।

हमने तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 07.06.2024 का अवलोकन किया। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण में अवगत कराया गया है कि आवंटन काफी पुराना है जिससे मूल आवंटन पत्रावली तलाश किये जाने के उपरांत भी नहीं मिली है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि आवंटन किये जाने हेतु विधिवत नहीं किया गया है। मूल आवंटन पत्रावली के अभाव में इन तथ्यों का परीक्षण किया जाना संभव नहीं है, किन्तु उभयपक्ष द्वारा इस तथ्या को स्वीकार किया गया है कि प्रकरण में आवंटी को सक्षम स्तर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। वक्त आवंटन भूमि गैर–खातेदारी हक के दर्ज हुई। आवंटन की शर्तो की पालना में गैर–खातेदार ने उक्त भूमि को कब्जा काश्त कर खातेदारी हक प्राप्त किया। किसी भी आवंटन में खातेदारी अधिकार प्राप्त होना इस आशय की पुष्टि करता की आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है। प्रार्थी के इस तथ्य को स्वीकार किया जाना कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की पालना नहीं की गई है, को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके साथ ही प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की और से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे न्यायालय के समक्ष आवंटन की प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित हो सके।

आवंटन के पश्चात् 50 वर्षो से अधिक की दीर्घ कालीन अवधि बाद भूमि आवंटन निरस्तगी के प्रार्थना–पत्र का कोई पुख्ता अभिलेखीय आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। आवेदन प्रस्तुत के 50 वर्षो से अधिक की दीर्घ कालीन अवधि वर्ष पूर्व भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ हुआ, जिस पर काश्त की जा रही है, एवं विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवंटन के 50 वर्षो से अधिक की दीर्घ कालीन अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा इस दीर्घ कालीन विलम्ब के संबंध में प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कथन नहीं किया गया है। इसके साथ ही प्रार्थी का आराजी पर आवंटन से पूर्व ही कब्जा होना बताया गया है, ऐसी स्थिति प्रार्थी का उक्त कथन संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि यदि वह विवादित भूमि पर काश्त कर रहा था तो आवंटन दिनांक के 50 वर्षो से अधिक की दीर्घ कालीन अवधि पश्चात् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(04) को प्रस्तुत करने का क्या औचित्य था।

उक्त विवरण के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मिथ्या आधार पर प्रस्तुत हुआ जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा जो तथ्य प्रार्थना–पत्र में उठाए गए है वे पूर्ण रूप से मिथ्या है। आवंटी को भूमि का आवंटन विधिवत किया जाना प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन व आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 032/65 दिनांक 14.06.1965 में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के सारहीन, बलहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं विपक्षी का आवंटन यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी रतनलाल पिता वेणीराम जाति अहीर आयु 75 साल निवासी मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 को सारहीन, बलहीन व आधारहीन होने से खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 032/65 निर्णय दिनांक 14.06.1965 की पुष्ठि की जाती है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **07.01.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official